

म. प्र. पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड - कार्य जय कार्यपालन यंत्री परीक्षण संभाग देवास

फॉर्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2016

08

108

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1984

1- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम

महेश कुमार म्यावाल

2- वर्तमान धारित पद

कनिष्ठ यंत्री

3- कार्यालय का नाम : परीक्षण संभाग, देवास

वर्तमान वेतन : (वे+ग्रे.पे.+म.भ.)

68/21  
35280+DA

5- भविष्य तिथि क्रमांक - 14042204

6- कर्मचारी संख्या- 83619328

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित हैं और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या सम्बन्ध हैं	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1 337 मानवता नगर कन्स्ट्रक्शन रोड खेदार	खेत 30 x 50 फीट	-	50 लाख	स्वयं के नाम पर है।	वर्ष 2005 में ICICI से ऋण लेकर निर्माता द्वारा पूरा करवाया था।	स्व निवास	-
2 151 फाल्गुनी नगर देवास A	खेत 20 x 60 फीट	-	24 लाख	संयुक्त (स्वयं + पत्नी)	पत्नी द्वारा E-36 फाल्गुनी खेदार से किया गया।	रिक्त	-
3 उत्कृष्ट स्टेट का नगर, काठवाड़ा खेदार	खेत 13 x 50 फीट	-	25 लाख	संयुक्त (स्वयं + पत्नी)	पत्नी द्वारा उत्कृष्ट स्टेट का नगर देवास से किया गया।	रिक्त	-
4 खेत नं 2 गिरदी रोड देवास	खेत 3916 वर्ग फीट	-	27 लाख	संयुक्त (स्वयं + पत्नी)	पत्नी द्वारा देवास स्थित परीक्षण नगर स्थित मकान के बंधक कर लिया गया।	रिक्त	-

वर्ष 2015 में देवास नगर नारायण परिमल 3/ महेश कुमार म्यावाल से ऋण लेकर किया गया।

हस्ताक्षर : .....

नाम : महेश कुमार म्यावाल

पद : कनिष्ठ यंत्री

- जहाँ लागू न हो काट दीजिये
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी - मंडल द्वारा ग्राहक म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय अथवा उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य तबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।